संख्या-513/2025/2078/22-2-2023-17(35)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 30 मई, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी टीकम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी जनपद-बागपत की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-12154/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.03.2023), दिनांक-13.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी टीकम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, जो रोहिना सिंहपुर, थाना-अकाराबाद, जनपद-अलीगढ़, हालपता-सर्वोदय संस्कृत आश्रम बालौनी, थाना-बलौनी, जनपद-बागपत का निवासी है। बन्दी की माँ के उसके फूफा के साथ अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 24.11.2005 को कुल्हाड़ी से मारकर अपनी मां कुसमा देवी की हत्या कर दी तथा उसके बाद अपने फूफा विजय सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या (1) 99/2006, धारा-302 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 17.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) एसटी नं0-99/2006, धारा-302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 17.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। (3) एसटी नं0-100/2006, धारा-4/25ए, एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 17.05.2008 द्वारा 01 वर्ष कारावास (4) एसटी नं0-758/2014, धारा-324,332,353 आईपीसी में मा० विशेष न्यायाधीश-(पोक्सो)01, मेरठ के आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा 03 वर्ष कारावास। बंदी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 17 वर्ष, 01 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 03 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बल्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक नहीं है। अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की माँ के उसके फूफा के साथ अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 24.11.2006 को कुल्हाड़ी से मारकर अपनी माँ कुसमा देवी की हत्या कर दी तथा उसके बाद अपने फूफा विजय सिंह की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टीकम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी टीकम सिंह (बन्दी संख्या-14327) पुत्र श्री पदम सिंह, निवासी जनपद-बागपत के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

<u>संख्या-513/2025/2078(1)/22-2-2023 एवं तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-513/2025/2078/22-2-2023-17(35)/2024

दिनांक 30 मई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बन्दी टीकम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह, जो रोहिना सिंहपुर, थाना-अकाराबाद, जनपद-अलीगढ़, हालपता-सर्वोदय संस्कृत आश्रम बालौनी, थाना-बलौनी, जनपद-बागपत का निवासी है। बन्दी की माँ के उसके फूफा के साथ अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 24.11.2005 को कुल्हाड़ी से मारकर अपनी मां कुसमा देवी की हत्या कर दी तथा उसके बाद अपने फूफा विजय सिंह की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या (1) 99/2006, धारा-302 आईपीसी में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 17.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। (2) एसटी नं0-99/2006, धारा-302 आईपीसी में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 17.05.2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। (3) एसटी नं0-100/2006, धारा-4/25ए, एक्ट में मा० अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय सं0-01, बागपत के आदेश दिनांक 17.05.2008 द्वारा 01 वर्ष कारावास (4) एसटी नं0-758/2014, धारा-324,332,353 आईपीसी में मा० विशेष न्यायाधीश-(पोक्सो)01, मेरठ के आदेश दिनांक 25.11.2020 द्वारा 03 वर्ष कारावास। बंदी द्वारा दिनांक 16.01.2023 तक 17 वर्ष, 01 माह, 22 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 03 माह, 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बागपत मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी के पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बल्दी के छूटने के बाद पुनः किसी घटना कारित होने की पूर्ण सम्भावना होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा ठीक नहीं है। अभी भी दोनों पक्षों में विवाद होने की पूर्ण सम्भावना होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है, किन्तु समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी की माँ के उसके फूफा के साथ अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 24.11.2006 को कुल्हाड़ी से मारकर अपनी माँ कुसमा देवी की हत्या कर दी तथा उसके बाद अपने फूफा विजय सिंह की हत्या कर दी। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी टीकम सिंह पुत्र श्री पदम सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in